

23-47 वकील उमयपक्ष उपस्थित है। बहस दरं हेतु पत्रावली दि० 27-317 को पेश हो। (3)

22-2-17 पत्रावली पेश हुई वकील उमयपक्ष उपस्थित है। बहस दरं हेतु पत्रावली दि० 20-317 को पेश हो। (3)

20-317 वकील उमयपक्ष उपस्थित है। प्रा० पत्र दि० 10-317 पर बहस हेतु पत्रावली दि० 28-317 को पेश हो। (3)

28-317 वकील उमयपक्ष उपस्थित है। प्रा० पत्र दि० 10-317 पर बहस हेतु पत्रावली दि० 12-417 को पेश हो। (3)

12-417 वकील उमयपक्ष उपस्थित है। बहस दरं हेतु पत्रावली दि० 24-417 को पेश हो। (3)

24-4-17 पत्रावली पेश हुई वकील उमयपक्ष उपस्थित है। बहस दरं हेतु पत्रावली दि० 17-5-17 को पेश हो। (3)

17-5-17 पत्रावली पेश हुई वकील उमयपक्ष उपस्थित है। बहस दरं हेतु पत्रावली दि० 31-5-17 को पेश हो। (3)

31-5-17 पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपक्ष उपस्थित है। पत्रावली दि० 1-617 को राजस्व कैम्प अमरगढ़ पर पेश हो।

1-617 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प अमरगढ़ पर पेश हुई। प्राथी मृतक श्रीनारायण की पुत्रियों की ओर से श्री मानु कुमार सिंघल नं० उपस्थित है।

कावेरी
श्री नारायण

Prabakar
Saurit
22

13/2015 श्रीनारायण खनाम उम्मेदसिंह

प्रां.पत्र त्रिच

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व
अहकाम
हुकम की
में जारी

तारीख
हुकम

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

अप्राथी उम्मेदसिंह उपास्थित है। पक्षकारों ने राजीनामा पेश किया जिसमें उन्होंने प्रकरण को 'राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण को खारिज करने का निवेदन किया है।

अतः पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर यह त्रिच प्रां.पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलेशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रवि कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(सतीश कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(बाबूलाल जाट)
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Saba

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापूर सिटी
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
 कैम्प कोर्ट का स्थान :- अमरगढ़

राजीनामा प्रपत्र

पीठासीन अधिकारी महोदय,

दिनांक 1-6-2017

गंगापूर सिटी

श्रीनारायण बनाम उमोदासिंह

प्रकरण संख्या :- 13/2015 अन्तर्गत धारा 39(2)(A) C.P.C.

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी/बन्दी श्री भालू कुमार सिंघल, एड०, मृतक प्रार्थी श्रीनारायण की पुरियों की ओर से है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गई अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

हम पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है। हम पक्षकार इस बीच प्रार्थीना पत्र को चलाया नहीं करते हैं। अतः यह बीच प्रा०पत्र स्वार्जित करमा दिया जावे।

अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।


 कर्ते पुरिया-श्रीनारायण

प्रतिवादी पक्ष 1. 

2.

2. 

3. श्रीमान्

3.

4. ग्राम पंचायत अमरगढ़

4.

संस० गंगापूर सिटी (स०मा०)


कर्ता के हस्ताक्षर


पहचानकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

(प्रतिवादी पक्ष) नाम

प्रार्थी/बन्दी एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी
 द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना आवश्यक है। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।


 (ह० सदस्य) (ह० सदस्य)
 (रवि कुमार शर्मा)
 एडवोकेट
 सदस्य
 लोक अदालत
 गंगापूर सिटी


 (ह० सदस्य) (ह० सदस्य)
 (सतीश कुमार शर्मा)
 एडवोकेट
 सदस्य
 लोक अदालत
 गंगापूर सिटी


 (बाबूलाल ग्राष्ट)
 पीठासीन अधिकारी
 अध्यक्ष
 लोक अदालत
 गंगापूर सिटी
 स्व
 उप जिला कलेक्टर
 गंगापूर सिटी